कार्यालय वनसंरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,सा0वा0, सरयूवृत्त, फैजाबाद।

पत्रांक–2213 / 29–1 फैजाबाद, दिनांक,नवम्बर 29 – 2017।

सेवामें,

मुख्य वनसंरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– यूपीडा, उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण में आने वाले छः जनपदो की वन भूमि के हस्तांतरण सम्बन्धी प्रस्ताव।

संदर्भः– आपका पत्रांक1415 / 11सी–एफ॰ पी॰/ यू॰ पी॰ / रोड्स / 28804 / 2017 दिनांक 22.11.2017 तथा प्रभागीय निदेशक, सुल्तानपुर का पत्रांक 1842 / 29–1 दिनांक 27.11.2017।

महोदय,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के संरेखण में प्रभावित होने वाली लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर जनपदों की वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोजन हेतु प्रयोग किये जाने की अनुमति सम्बन्धी समेकित प्रस्ताव में विभिन्न वन प्रभागो के ऑनलाइन एवं हार्ड कापी में पायी गयी कमियों का निराकरण कराकर पूर्ण प्रस्ताव तीन प्रतियों में आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ओ0पी0 सिंह)
मुख्य वनसंरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0,सरयू वृत्त, उ0प्र0 फैजाबाद

पत्रांक 2213 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित क ेसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
2. मुख्य वनसंरक्षक, मध्य क्षेत्र, लखनऊ।
3. वनसंरक्षक, आजमगढ़ एवं वाराणसी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी / निदेशक, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवंगाजीपुर।

(ओ0पी0 सिंह)
मुख्य वनसंरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0,सरयू वृत्त, उ0प्र0 फैजाबाद

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक 4731/14–10–4 लखनऊ, दिनांक, 28 नवम्बर, 2017.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित एवं 8.4165 हे0 संरक्षित अर्थात कुल 15.5714 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1415/11–सी–एफ.पी./यू0पी0/रोड/28804/2017, दिनांक 22.11.2017.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है –

1. प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल में अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
2. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता में अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
3. परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव बिहार न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र में अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
4. मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र में अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
5. ऑन लाईन भाग–2, District Profile में जिले का वन क्षेत्र तथा Forest Land including Panel CA का विवरण हार्ड कापी व ऑनलाइन में जनपद का आरक्षित क्षेत्रफल हे0 में होने व संरक्षित वन की लम्बाई किमी0 में होने के कारण इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। आन लाइन में केवल हे0 में ऑप्सन होने के कारण किमी0 में नहीं भरा जा सकता।
6. ऑन लाईन भाग–2, कमांक– 13(i) Patchwise Detail में फीड किया गया विवरण डिलीट कर दिया गया है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सोनकर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यूपीडा), उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार सोनकर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।
पत्रांक– 2028 / 14–4–4, दिनांक, बाराबंकी, 25/11/2017.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक
सरयू वृत्त, उ0प्र0, फैजाबाद।

विषयः– लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित एवं 8.4165 हे0 संरक्षित अर्थात कुल 15.5714 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रॉक– 1415/ 11–सी / एफ.पी./यू.पी./रोड/28804/2017 दिनांक 22–11–2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित तथा अन्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, के क्रम में अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ द्वारा लगायी गयी इस जनपद से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण कर भाग–2 से सम्बन्धित संशोधित सूचना की चार प्रतियां संलग्न कर एवं ऑनलाइन में वांछित सूचना संशोधित कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या 2028 / उक्तदिनांकित।

1– प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्रॉक–1415/11–सी–एफ.पी./यू.पी/रोड/28804/2017 दिनांक 22–11–2017 के क्रम में संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक (मध्य क्षेत्र) उ0 प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3– प्रतिलिपि उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी सी–13 द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को संदर्भित पत्र के क्रम में भाग–2 के संलग्नक की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी हैदरगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

o/c

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

सूचना

क्र0सं0	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	2	3
1	प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल में बाराबंकी जनपद से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल में पूर्व से ही प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित है।
2	एन.पी.वी जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	एन.पी.वी जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता प्रमाण पत्र में प्रभागीय निदेशक द्वारा पूर्व से ही प्रतिहस्ताक्षरित है।
3	ईको – क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न है किन्तु हरियाली घनत्व त्रटिपूर्ण अंकित किया गया है।	हरियाली घनत्व ईको– क्लास के गणना के अनुसार 0.3 सही कर दिया गया है।
4	परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव बिहार न होने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।	परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव बिहार न होने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित है।
5	मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र पर प्रभागीय निदेशक द्वारा पूर्व से ही प्रतिहस्ताक्षरित है।
6	ऑन लाइन भाग–2 District Profile में प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति में विवरण ऑनलाइन व हार्ड कापी में भिन्न– भिन्न अंकित किया गया है। अतः एक समान विवरण अंकित करें।	ऑन लाइन भाग–2 में प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति में ऑनलाइन व हार्ड कापी में एक समान विवरण अंकित कर दिया गया है।
7	ऑल लाइन भाग–2, क्रमांक– 13 (I) Patchwise Detail में फीड किया गया विवरण डिलीट करें, क्योंकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना समेकित रूप से अमेठी वन प्रभाग में प्रस्तावित है तथा प्रभागीय निदेशक, सुल्तानपुर विषयगत परियोजना हेतु लोडल अधिकारी नामित होने के कारण उनके द्वारा भरा जाना है।	ऑल लाइन भाग–2, क्रमांक– 13 (I) में फीड किया गया विवरण आपके निर्देशानुसार डिलीट कर दिया गया है

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।</u>

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सुलतानपुर।

पत्रांक:– 1842 / 23-1 दिनांक, सुलतानपुर 27-11-2017

सेवा मे,

मुख्य वन संरक्षक,
प्रभारी वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी , सरयू वृत्त, उ0प्र0,
फैजाबाद।

विषयः– **लखनऊ से बलिया (वाया आजमगढ) पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ बाराबंकी, सुलतानपुर , आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित एवं 6.4165 हे0 संरक्षित अर्थात कुल 15.5714 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।**

संदर्भ:– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ पत्रांक– 1415 / 11–सी –एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 28804 / 2017 दिनांक 22.11.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा समेकित प्रस्ताव में लगाये गये आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है । अतः महोदय को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(के0सी0बाजपेयी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।

पत्रांक:– 1842 / उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र – 1415 / 11–सी–एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 28804 / 2017 दिनांक 22.11.2017 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(के0सी0बाजपेयी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।

N.K.Pandey/450/compiler

सुलतानपुर वन प्रभागः–

क0 सं0	आपत्तियां	टिप्पणी
1	वन प्रभाग में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष लीज अवधि प्रमाण पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित वनभूमि का मूल्य, लीज रेंट व प्रीमियम के भुगतान की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	आपत्ति में दिये हुये विवरण की वचनबद्धता संलग्न है।
2.	पृष्ठ संख्या–260 पर संलग्न प्राकलन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि अथवा रु0 136800 लिखा गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः पूर्ण धनराशि अंकित करें।	त्रुटिपूर्ण धनराशि को संशोधित कर पूर्ण धनराशि अंकित कर दिया गया है।
3.	प्रस्तावित वनभूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर अंकित कर दिया गया है।
4.	संरक्षित वनभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है किन्तु प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं है तथा आरक्षित वनभूमि में बाधक 25483 वृक्षों की वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न नहीं है। अतः सम्पूर्ण सूची सारांश सहित संलग्न करें।	सम्पूर्ण सूची वैज्ञानिक नाम सहित संलग्न कर दिया गया है।
5.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/वचन बद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करा दिया गया है।
6.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का Geo Refferenced Digital Map संलन है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी के हस्ताक्षर नहीं है। अतः हस्ताक्षरयुक्त मूल में संलग्न करते हुए ऑनलाइन अपलोड करें।	ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
7.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का सूक्ष्म रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी के हसताक्षर नहीं है। अतः 1:50000 माप की पूर्ण रंगीन टोपोशीट प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी द्वारा सत्यापित कराकर संलग्न करते हुए ऑनलाइन अपलोड करें।	ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
8.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर दिया गया है।

9.	एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन0पी0वी0 में बढ़ोतरी के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
10.	मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
11.	हार्ड कापी भाग–2, District Profile के कमांक 12(iv) में रिक्त अंकित किया गया है, जबकि ऑनलाइन भाग–2 में विवरण अंकित किया गया है, जोकि विरोधाभाष है। अतः एक समान विवरण अंकित करें।	एक समान विवरण अंकित कर दिया गया है।
12.	आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वन भूमि की 1:50000 माप की संक्षिप्त टोपो शीट संलग्न है, जिस पर सभी स्थल स्पष्ट दिखाई नही दे रहे है। अतः फुल साइज की 1:50000 माप की टोपोशीट संलग्न करते हुए ऑनलाइन अपलोड करें।	फुल साइज की 1:50000 माप की टोपोशीट संलग्न करते हुए ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
13.	आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वन भूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।	निर्धारित प्रारूप में संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
14.	प्रस्ताव की दो प्रतियों में पृष्ठ संख्या 282 से 284 पर लगे प्रमाण पत्र अधूरे व अपूर्ण है तथा उनका कमवार संलग्न भी नहीं है।	पृष्ठ संख्या 282 से 284 पर लगे प्रमाण पत्र पूर्ण कर कमवार संलग्न कर दिया गया है।
15.	ऑनलाइन भाग–2 में 25763 वृक्ष अपलोड किये गये है जबकित प्रस्ताव में 25762 वृक्षों का उल्लेख है जोकि विरोधाभाष है। अतः एक समान विवरण अंकित करें।	ऑनलाइन भग–2 में त्रुटिपूर्ण 25763 वृक्ष अपलोड कर दिया गया था, जिसे संशोधित कर 25762 वृक्ष ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
16.	विषयगत परियोजना हेतु आप नोडल अधिकारी नामित किये गये है। अतः संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष अमेठी वन प्रभाग में प्रस्तावित समेकित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर दिया गया है।

(के0सी0बाजपेयी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।

A.S.O./campa/33

आजमगढ़ वन प्रभागः–

आपत्तियां	टिप्पणी
1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर अंकित कर दिया गया हैं।
2. वन प्रभाग में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष लीज अवधि प्रमाण पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित वनभूमि का मूल्य, लीज रेंट व प्रीमियम के भुगतान की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	आपत्ति में दिये हुये विवरण की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
3. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया हैं।
4. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न नहीं है तथा ऑनलाइन भाग–2 में केवल 439 वृक्ष ही अपलोड किये गये है जबकि परियोजना में 1564 बाधक वृक्षों का उल्लेख है। अतः आजमगढ़ वन प्रभाग में बाधक सभी वृक्षों का प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची तथा सारांश संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें।	वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है। वन प्रभाग में बाधक सभी वृक्षो का प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची तथा सारांश संलग्न है। 439 वृक्ष जिनका व्यास 30 सेमी0 से अधिक है उन्हे आनलाईन अपलोड किया गया है शेष वृक्ष 30 सेमी0 से कम व्यास के है जिन्हे आनलाईन अपलोड किया जाना सम्भव नही था।
5. आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वन भूमि की 1:50000 माप की संक्षिप टोपोशीट संलग्न है। अतः फुल साइज की 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट संलग्न करते हुये ऑनलाइन अपलोड करें।	फुल साईज की 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट संलग्न एवं अपलोड है।
6. आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण संलग्न है किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।	निर्धारित प्रारूप में संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

7. एन.पी.वी. जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
8. ईको–क्लास के अनुसार एन.पी.वी. की गणना संलग्न है किन्तु योग में 27.059 अंकित किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः पूर्ण धनराशि अंकित करें।	त्रुटिपूर्ण धनराशि को संशोधित कर पूर्ण धनराशि अंकित है।
9. मलवा उत्सर्जन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
10. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक– 5,6 व 7 में त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित किया गया है। अतः क्रमांक–5 में "The area is covered under plantation working circle of the working plan. क्रमांक–6 में "The area is not vulnerable to soil erosion एवं क्रमांक–7 में शून्य फीड करें।	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक– 5,6 व 7 का सही विवरण अंकित कर दिया गया है।
11. ऑनलाइन भाग–2, Addistion Information Details में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र नाम सहित अपलोड नहीं किये गये है।	सभी आवश्यक प्रमाण पत्र नाम सहित अपलोड कर दिया गया है।
12. हार्ड कापी भाग–2 में आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष हरियाली घनत्व अंकित नहीं है।	हार्ड कापी भाग–2 में आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष हरियाली घनत्व अंकित कर दिया गया है।
13. आजमगढ़ वन प्रभाग में उपलब्ध करायी जा रही गैर वनभूमि की खतौनी व सहमत पत्र संलग्न नहीं है।	गैर वनभूमि की खतौनी व सहमत पत्र संलग्न है।
14. प्रभावित संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष ऑनलाइन भाग–2, क्रमांक–13 में फीड किया गया विवरण डिलीट करें, क्योंकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना समेकित रूप से अमेठी वन प्रभाग में प्रस्तावित है तथा प्रभागीय निदेशक, सुल्तानपुर विषयगत परियोजना हेतु नोडल अधिकारी नामित होने के कारण उनके द्वारा भरा जाना है।	ऑनलाइन भाग–2, क्रमांक 13 मे फीड किया गया विवरण डीलीट कर दिया गया है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
[illegible]

सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर

आपत्तियाँ	टिप्पणी
1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर व मुहर अंकित कर दिया गया है।
2. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
3. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है, किन्तु संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 593 बाधक वृक्षों/पौधों का उल्लेख है जबकि 593 वृक्षों/पौधों के प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम व प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर युक्त सूची संलग्न नही किया गया है तथा आनलाइन भाग–2 में केवल 121 वृक्ष ही अपलोड किये गये है जोकि अपूर्ण है। अतः पूर्ण सूची संलग्न करते हुए आनलाईन अपलोड करें।	वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है। वन प्रभाग में बाधक सभी वृक्षों का प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची तथा सारांश संलग्न है। 125 वृक्ष जिनका व्यास 30 सेमी से अधिक है उन्हें आन लाईन अपलोड कर दिया गया है। शेष वृक्ष 30 सेमी से कम व्यास के हैं जिन्हें आनलाइन अपलोड किया जाना सम्भव नहीं था।
4. एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन0पी0वी0 बढोत्तरी के उपरान्त बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
5. परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्यजीव बिहार न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
6. मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
10. आन लाइन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 के **District profile** में जिले का वन क्षेत्र व अन्य विवरण अंकित नहीं किया गया है।	आन लाइन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 के District profile में जिले का वन क्षेत्र व अन्य विवरण अंकित कर दिया गया है।
11. हार्ड कापी भाग–2 के कमांक–7(VI) में वृक्षों की संख्या रिक्त दर्शायी गयी है जो कि त्रुटिपूर्ण है।	हार्ड कापी मे सूचना अंकित कर दी गई है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गाजीपुर

Punit kumar—3 - --345

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ

आपत्तियॉ	टिप्पणी
1—याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण—पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नही है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
2—प्रस्तावित वन भूमि हस्तांरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नही है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
3—प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है किन्तु प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम अंकित नही है तथा प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नही है।	प्रभावित होने वाले वृक्षो का प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम अंकित कर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर सूची संलग्न कर दिया गया है।
4—एन.पी.वी जमा किये जाने की वचनबद्धता तथा एन.पी.वी में बढोत्तरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
5—गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है किन्तु मार्ग चिन्हित नही है।	गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति पर मॉर्ग चिन्हित कर दिया गया है।
6—परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/ वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नही है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है।
7— मलवा उत्सर्जन संबंधी प्रमाण—पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
8— ऑनलाइन भाग—2 के कमांक—5 में कोई विवरण अंकित नही है। अतः कमांक—5 में The area is covered under plantation working plan फीड करें।	ऑनलाइन भाग—2 के कमांक—5 में The area is covered under plantation working plan फीड कर दिया गया है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मऊ

Office/Draftsman/Land_Transfer/NHAI- NH-29_Four_Lane_Project/Letter.doc